न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 55/2024

रतनी देवी पत्नि रमेश कुमार जाति कुम्हार, निवासी ढाणी कुम्हारान तन गादली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू। —रेस्पोडेन्ट्स—

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार बुहाना मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रतनीदेवी प्रकरण संख्या 20/2024 निर्णय दिनांक 18.07.2024 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता............रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 11.2.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना ने हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को ग्राम गादली स्थित खसरा नम्बर 512/145 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी—2 पर टीन शैड का पक्का मकान व चरी बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करने बाबत अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया तथा जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी मानते हुए दण्ड स्वरूप शरह लगान 2.47 का अतिक्रमण शुदा लगान 0.07 की 50 गुणा राशि 04/— बतौर शास्ति कायम कर बेदखली के आदेश पारित किये। उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट पर खातेदार काश्तकार व काबिज है। पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.18 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

हलका की रिपोर्ट के अनुसार भी विवादित भूमि की किस्म बारानी–2 है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2024 को प्रकरण दर्ज कर अपीलांट की तलबी हेतु दिनांक 24.06.2024 नियत की गई। उक्त पेशी पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा जिस पर जवाब हेतु पेशी दिनांक 18.07.2024 नियत की गई। उक्त पेशी पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना बहस सुने बिना अपीलान्ट के जवाब पर कोई विवेचन किये ही दिनांक 18.07.2024 को आलौच्य निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना न करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही विधि विरूद्ध आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पारित निर्णय को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है तथा काश्त की भूमि पर आबाद अपीलान्ट के खिलाफ अ0धारा 91 भू–राजस्व अधि0 के तहत कार्यवाही कर अपीलार्थी के खिलाफ विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2024 अपास्त करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। इसके अलावा मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में खारिज किये जाने योग्य पाते है तथा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.18 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 20/2024 निर्णय दिनांक 18.07.2024 को यथावत रखा जाता है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.02.18 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested